

## छावनी परिषद् अजमेर/CANTONMENT BOARD, AJMER

पलटन बाज़ार, अजमेर, राजस्थान-305001/PALTAN BAZAR, AJMER, RAJASTHAN-305001

दूरभाष/Phone: 0145-2420592

ई-मेल/E-Mail: ceoajme-stats@nic.in

वेबसाइट/Website: <https://ajmer.cantt.gov.in/>

पत्रांक: I/42/CA-AJ/SUP/ 75

दिनांक: 29 जून, 2022

### सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद, अजमेर क्षेत्र में दिनांक 01.07.2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग को निषिद्ध किया जायेगा। सभी प्रकार के प्लास्टिक स्टिकस, प्लास्टिक स्टिक के साथ गुब्बारा, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आईस्क्रीम स्टिक्स, पॉलीस्ट्रीन (थर्माकोल), प्लेट्स, कप, ग्लास, कटलरी, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, रैपिंग-पैकिंग पेपर, निमंत्रण पत्रिका, सिगरेट पैकेट, पी.वी.सी. बैनर, कृत्रिम फोल्डर, कैंरी बैग, डिस्पोजेबल प्लास्टिक, कन्टेनर इन सभी वस्तुओं पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है। छावनी अधिनियम, 2006 धारा 289(5) द्वारा नियम के अन्तर्गत दण्ड का प्रावधान किया गया है। छावनी क्षेत्र में उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर प्रत्येक समय रूपये 5000/- का आर्थिक दण्ड एवं छः माह का कारावास का प्रावधान है।



मुख्य अधिशाषी अधिकारी  
छावनी परिषद, अजमेर

प्रतिलिपि :-

01. समस्त नोटिस बोर्ड, छावनी परिषद, अजमेर छावनी।
02. सभी अखबार के सम्पादक
03. सफाई निरीक्षक

- कृपया जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करें।
- अनुपालनार्थ